राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन:– 2708739
Email: rajssa.training@gmail.com
फैक्सः– 5107388, 2701822

क्रमांकः राप्राशिप/जय/प्रशिक्षण/दिशा–निर्देश/2017–18/ 7208 दिनांक : 26/3/17

शिक्षक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला: 2017–18
(कक्षा 6 से 8 के विषय अध्यापकों हेतु)
प्रशिक्षण हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2017–18 की पी.ए.बी. अप्रेजल रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के प्रशिक्षणों का आयोजन शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2017 से 06 जनवरी, 2018 के मध्य आवासीय प्रकार के आयोजित किए जाएंगे।

क्रस	प्रशिक्षण	अवधि	आयोजन का स्तर	विषय	संभागी	समय सारणी
1	एस.आर.जी.	6 दिवस	एसआईईआरटी, उदयपुर	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान	विषय विशेषज्ञ (मॉड्यूल लेखक)	अगस्त–सितम्बर
2	सन्दर्भ व्यक्ति (एमटी)					
2.1	कक्षा 6 से 8	6 दिवस	एसआईईआरटी, उदयपुर	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान	प्रत्येक ब्लॉक से प्रति विषय से 3 संभागियों का चयन (प्रति ब्लॉक X 3 विषय X 4 संभागी)	अक्टूबर–नवम्बर
3	शिक्षक प्रशिक्षण					
3.1	कक्षा 6 से 8	6 दिवस	ब्लॉक स्तरीय	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान	कक्षा 6 से 8 में अध्यापन कार्य कराने वाले विषयवार समस्त शिक्षक	शीतकालीन अवकाश (25 दिसम्बर, 2017 से 06 जनवरी, 2018 के मध्य)

1. **प्रशिक्षण के आयोजन स्तरः–**
   - प्रशिक्षण का आयोजन दो स्तर पर किया जाएगा –
     - ✓ **प्रथम स्तर–** सन्दर्भ व्यक्ति (एम0टी0) प्रशिक्षण राज्य स्तर पर एसआईईआरटी उदयपुर द्वारा आयोजित किए जाएँगे।
     - ✓ **द्वितीय स्तर–** शिक्षक प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर एसएसए के द्वारा आयोजित किए जाएँगे।
2. **सन्दर्भ व्यक्ति (एम0टी0) चयन का आधारः–**
   - मॉड्यूल लेखन से जुड़े विषय विशेषज्ञों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
   - डाइट व्याख्याता अथवा एसएसए में नियुक्त आर.पी. को प्राथमिकता दी जावे।
   - पूर्व में प्रशिक्षणों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक तथा सम्बन्धित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर हो।
   - राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी (अध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य) जिन्हें न्यूनतम 3 वर्ष का शिक्षण कार्य का शैक्षणिक अनुभव हो।
   - किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लम्बित ना हो।
   - संदर्भ व्यक्तियों का चयन जिला डाइट, एसएसए एवं आर.एम.एस.ए. के समन्वय से तय मापदण्डानुसार किया जावे। ब्लॉक स्तर से न्यूनतम प्रत्येक विषय के चार एमटी का चयन किया जाए, जिसमें उपलब्धता के आधार पर 2 प्रारम्भिक शिक्षा, 2 माध्यमिक शिक्षा से संख्यात्मक अनुपात में चयन किया जायेगा।
3. **ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षणः–**
   - **परिषद से जारी पूर्व दिशा निर्देश क्रमांक दिनांक 05.05.2017 के अनुसार कक्षा 6 से 8 में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत विषय का अध्ययन कार्य करवाने वाले शिक्षकों के स्थान पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार विषय चयन में संशोधन करते हुए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य करवाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है।**

www.rajteachers.com

- प्रत्येक राउप्रावि/मावि/उमावि विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय का अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों को 06 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- यदि विद्यालय में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कार्य एक ही शिक्षक द्वारा करवाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस शिक्षक को उसी ही विषय में छः दिवस का प्रशिक्षण लेना होगा जिस विषय में उसने स्नातक डिग्री प्राप्त कर रखी है।
- शिक्षक प्रशिक्षण पूर्ण आवासीय एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित होंगे।

4. **वित्तीय प्रावधानः–** शिक्षक प्रशिक्षणों हेतु व्यय मानक निम्नानुसार हैः–

- प्रशिक्षण आयोजन हेतु जिला एसएसए कार्यालय से राशि का हस्तान्तरण बीईईओ कार्यालय को राशि का व्यय एवं समायोजन परिषद के सामान्य दिशा निर्देश 2017–18 की पालना में किया जाएगा।
- जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से अधिक समायोजन एवं प्रशिक्षण मानकों से अधिक व्यय नहीं किया जाएँ।
- एसएसए जिला परियोजना कार्यालय से प्राप्त बजट से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु परिषद से प्राप्त राशि के अनुपात में अग्रिम राशि जारी करेंगे।
- प्रशिक्षण व्यवस्थापक एवं शिविर प्रभारी प्रशिक्षण व्यवस्थाओं संबंधी व्यय का रिकार्ड संधारित कर व्यय वाउचर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त पश्चात प्रेषित करेंगे।
- प्रशिक्षणों में शिक्षकों, संदर्भ व्यक्तियों को दिया जाने वाला मानदेय अथवा यात्रा भत्ता आदि उनके बैंक खाते में ही प्रशिक्षण होने के 15 दिवस में जमा करवाएँगे। किसी भी स्थिति में शिक्षक या संदर्भ व्यक्तियों को नकद भुगतान नहीं किया जाए।

आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण

व्यय मानक (40 संभागियो के 6 दिवसीय शिविर हेतु) Rs. 200/– प्रति शिक्षक प्रति दिन

संभागी संख्या 40 से कम होने पर अनुपातिक रूप से तदनुसार हीं व्यय किया जाए। यह व्यय संकेतात्मक है।

किसी मद में व्यय परिस्थितियों के अनुसार कम अथवा ज्यादा हो सकता है परन्तु समग्र राशि सारणी अनुसार हीं होगी।

क्रस	मद का नाम	राशि	कुल प्रशिक्षण दिवस	संभागी की संख्या	कुल राशि
1	आवास एवं बैठक व्यवस्था	16	6	45	4320
2	पेयजल, पंखे, बिजली आदि	300	6	0	1800
3	दो समय भोजन एवं तीन बार चाय व अल्पाहार	120	6	45	32400
4	टीएलएम	4	6	40	960
4	संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय	400	6	2	4800
5	व्यवस्थापक का मानदेय	150	6	1	900
6	विविध व्यय (प्रोजक्टर, कम्प्यूटर, जनरेटर, फोटोग्राफी, फोटो स्टेट आदि)	-	-	-	2820
	कुल व्यय (रूपये 200 x 6 दिवस x 40 संभागी)				48000

नोटः–

- ✓ **सन्दर्भ व्यक्ति एवं संभागियों को नियमानुसार टीए/डीए का भुगतान सम्बन्धित ब्लॉक/जिला कार्यालय के शिक्षक वेतन मद की बचत राशि से किया जाएगा।**
- ✓ **उपर्युक्त उपमदवार राशि आवटंन में परिवर्तन / समायोजन स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।**
- ✓ **राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमानुसार किया जाना है।**

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार

आवासीय प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत किए गए अतिरिक्त बजट 100/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के प्रावधान

राज्य सरकार के **आदेशानुसार उक्त प्रशिक्षणों पर 200/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस के अतिरिक्त विशेष आवश्यकतानुसार 100/– रूपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस विभिन्न व्यवस्थाओं यथा जनरेटर, पेयजल, शौचालय, साफ–सफाई, आवास (गद्दे, चादर, तकिया) एवं अन्य सम्बन्धित व्यवस्था आदि पर व्यय किया जा सकता है।** अतः उक्त प्रशिक्षणों में प्रति प्रशिक्षणार्थी आवश्यकतानुसार कुल राशि 300/– रूपये तक प्रति दिवस की दर से व्यय करते हुए GA & FR एवं अन्य सम्बन्धित नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए व्यय की जा सकती है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

5. **प्रशिक्षणों में व्यय का समायोजनः–**

- प्रायः यह देखा गया है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) में प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय को दर्शाने में अतिरिक्त परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा अन्य प्रशिक्षणों का खर्चा किसी एक ही प्रशिक्षण (उपमद) में कर दिया जाता है, जिससे प्रशिक्षण विशेष में कई बार वित्तीय

www.rajteachers.com

लक्ष्य अधिक हो जाते हैं, जबकि दूसरे प्रशिक्षण में वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2017-18 में जिलों को प्रदत्त वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप ही व्यय का समायोजन किया जाएगा।

वित्तीय समायोजन प्रगति-प्रपत्र

शिक्षक प्रशिक्षण का नाम	भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि

नोट : प्रत्येक प्रशिक्षण उपरान्त उक्त प्रपत्र में प्रगति रिपोर्ट परिषद के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में भिजवाना सुनिश्चित करें।

6. सन्दर्भ व्यक्ति की नियुक्तिः-

- ब्लॉक पर प्रत्येक विषय के प्रशिक्षण में एक बैच में सम्बन्धित विषय के दो दक्ष प्रशिक्षक (एम0टी0) कार्य करेंगे।
- अपरिहार्य परिस्थितियों में जिन ब्लॉक में एम0टी0 संख्या आवश्यकता/मापदण्ड न्यून रहीं है। ऐसी स्थिति में इसी वर्ष के प्रशिक्षित अन्य ब्लॉक के एम0टी0 को प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षक नियुक्त किया जाए।
- एसआईईआरटी, उदयपुर द्वारा प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्तियों को ब्लॉक स्तर पर विषयवार आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणों हेतु एम0टी0 के कार्यादेश डाइट प्रधानाचार्य द्वारा जारी किए जाए।
- प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्ति (एम0टी0) द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण देने का कार्य किया जायेगा। उन्हें नियमानुसार एसएसए मद से मानदेय देय होगा। प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रति बैच प्रत्येक विषय के न्यूनतम 2 संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त किए जाए।

7. विशेषः-

- संदर्भ व्यक्तियों के विषयवार प्रशिक्षण 6 दिवसीय आवासीय होंगे।
- सन्दर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण के आयोजन से पूर्व जिला परियोजना कार्यालय, एसएसए तथा रमसा तथा नियुक्त मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति के साथ प्रधानाचार्य डाइट की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित की जाए।
- प्रशिक्षणों के आयोजन में प्रशिक्षण प्रभारी डाइट पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेंगे।
- **सम्बन्धित ब्लॉक के बीईईओ शिविर प्रभारी, सम्बन्धित आयोजन स्थल/ पंचायत क्षेत्र के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान व्यवस्थापक तथा सम्बन्धित ब्लॉक का एबीईईओ/ब्लॉक प्रशिक्षण प्रभारी आर0पी0 सह व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेंगे एवं आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रति सदस्य प्रशिक्षण आवास स्थल पर रात्रि विश्राम करना सुनिश्चित करें।**
- यदि ब्लॉक पर एक से ज्यादा प्रशिक्षण केन्द्र हो तो ऐसी स्थिति में एबीईईओ को सह-प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाए।
- ब्लॉक स्तर पर बीईईओ की अध्यक्षता में पीईईओ, एबीईईओ, आरपी, केआरपी, एमटी की सम्मलित ब्लॉक प्रशिक्षण समिति का गठन कर प्रशिक्षण सम्बन्धित समस्त व्यवस्थाओं का संचालन करेगी एवं व्यवस्था सम्बन्धित समस्त जिम्मेदारी ब्लॉक प्रशिक्षण समिति की होगी।
- प्रशिक्षणों के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु सम्बन्धित संभाग के उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक के नेतृत्व में डाइट प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक, एडीपीसी एसएसए/आरएमएसए के संयुक्त तत्वावधान में दल बनाकर सघन परिवेक्षण किया जाए।
- जिला स्तर पर डाइट प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में जिला प्रशिक्षण समिति का गठन किया जावे। इस समिति में जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,एसएसए एवं रमसा, एपीसी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रभारी डाइट सदस्य हो। यह समिति जिला स्तर पर प्रशिक्षणों की समीक्षा करें एवं प्रतिवेदन परिषद एवं एसआईईआरटी को भिजवाएँ।
- जिले के डीपीसी/एडीपीसी एसएसए एवं रमसा के अधिकारी, डाइट व्याख्याता, समस्त ब्लॉक अधिकारी की संयुक्त बैठक डाइट प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित कर प्रशिक्षण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायी जाए एवं प्रशिक्षणों की मॉनिटरिंग संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया जाए।
- प्रशिक्षणों की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की उपस्थिति एवं समय की पाबंदी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से अपने कार्यरत जिले एवं ब्लॉक में ही भाग लेंगे। स्थानीय स्तर से ब्लॉक एवं जिले में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है।
- ग्रीष्मावकाश मे आयोजित प्रशिक्षण शिविरों मे भाग लेने वाले शिक्षकों (स्थिर मानदेय को छोड़कर) को राजकीय नियमानुसार राज्य सरकार के राज्यादेश संख्या प.21(2)शिक्षा-1/प्रा.शि./2010-पार्ट-1 दिनांक 07.05.2012 के अनुसार उपार्जित अवकाश देय है एवं आदेश क्रमांक प.21(2) प्राशि/आयोजन/2013 दिनांक 19.6.2013 के अनुसार केआरपी एवं एमटी को उपार्जित अवकाश देय है।

www.rajteachers.com

- शिविर में संभागियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित व्यय मानक स्वतः ही अनुपातिक रूप से परिवर्तित हो जाएँगे।
- प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर में संभागियो की अधिकतम संख्या 40 तथा न्यूनतम संख्या 20 निर्धारित की गयी है। प्रशिक्षणों के प्रत्येक शिविर में अधिकतम दो दक्ष प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने हैं।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक **राप्राशिप/शिप्र/2011–12/फा–3/382 दिनांक** 08.04.2011 एवं **एफ(1)EE/Plan/CMAC/2016** दिनांक की पालना **में प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले आरपी / एमटी एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि का वेतन नहीं दिया जाए। साथ ही अग्रिम वेतन वृद्धि प्रकरण के निस्तारण होने तक रोक दी जाए।**
- प्रशिक्षणों मे अनुपस्थित कार्मिकों के कारण बताओ नोटिस जारी किये जाए एवं प्रत्युत्तर का सक्षम अधिकारी द्वारा गहन मनन व परीक्षण किया जाकर, अग्रिम कार्यवाही की जाए, जिनके प्रकरण निरस्त योग्य/अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, उनकी सूचना परिषद स्थित प्रशिक्षण शाखा को उपलब्ध कराएँ।
- **सभी प्रशिक्षणों में संभागियों को गत वर्ष की भाँति प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी किए जाएँ। प्रमाण पत्र का प्रारूप गत वर्ष की भाँति होगा। परिषद द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व सॉफ्ट प्रति में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्रमाण पत्र मुद्रण पर होने वाले व्यय का समायोजन जिला एसएसए कार्यालय के प्रबन्धन मद से किया जाए।**
- ऐसे संदर्भ शिक्षक, जो माध्यमिक शिक्षा मे कार्यरत हैं, को कार्यमुक्त कराने हेतु जारी किये जाने वाले आदेश की प्रति सम्बन्धित संस्था प्रधान एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक रूप से दी जाए। यदि कोई संस्था प्रधान प्रशिक्षण हेतु जारी आदेशों की अनुपालना मे उनके अधीन कार्यरत संदर्भ/मुख्य संदर्भ व्यक्ति को कार्यमुक्त नहीं करता है, तो राज्य सरकार के **स्थायी आदेश संख्या प.21 (2)शिक्षा–1/प्रा.शि./2010–पार्ट–1 दिनांक** 07.05.2012 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी **समसंख्यक पत्र दिनांक** 17.01.2013की पालना में सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लिये जाने का प्रस्ताव परिषद को भिजवाएँ।
- प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण समाप्ति के दो दिवस में प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, जिसे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तथा जिला स्तर से समेकित रिपोर्ट परिषद स्तर पर भिजवाया जाना है।
- प्रशिक्षण के प्रत्येक दिवस सांयकाल कोर समूह की बैठक आयोजित कर प्रशिक्षण सत्र की समीक्षा तथा आगामी दिवस की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे दक्ष प्रशिक्षक के साथ डाइट प्रभारी एवं सम्बन्धित आर.पी. आवश्यक रूप से शामिल हो ताकि प्रतिदिन की समस्या का समाधान किया जा सके।
- सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.) द्वारा स्थानीय स्तर पर 'पूर्व परख' एवं 'पश्च परख' तैयार कर संभागियों से भरवाएँ। प्रशिक्षण की समाप्ति पर संभागियों द्वारा प्राप्त फीडबैक लेकर आगामी प्रशिक्षणों हेतु सम्मलित किये जाने वाले नीड बेस्ड विषयवस्तु की सूची तैयार कर परिषद को भेजना सुनिश्चित करें।
- परिवेक्षण दल द्वारा प्रतिदिन का अवलोकन प्रतिवेदन जिले से परिषद कार्यालय नियन्त्रक कक्ष में प्रेषित किया जाए।
- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की प्रतिदिन संभागियों की संख्या विषयवार निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय एसएसए और परिषद् कार्यालय, एसएसए के नियन्त्रण कक्ष में प्रेषित की जाए।
- ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिदिन संभागियों की ब्लॉकवार उपस्थिति ब्लॉक से जिला नियन्त्रक कक्ष को तथा जिले से समेकित सूचना परिषद कार्यालय, एसएसए के नियन्त्रक कक्ष में प्रेषित की जानी अनिवार्य है।
- आवास स्थल पर समिति के सदस्य आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रति सदस्य आवास स्थल पर रात्रि विश्राम करना सुनिश्चित करें।
- ब्लॉक बीईईओ समस्त व्यवस्थाओं की मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. **नियंत्रण कक्ष की स्थापनाः–**

- प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं के आदान–प्रदान, मॉनिटरिंग एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तर पर डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय तथा बीईईओ कार्यालय में प्रशिक्षण अवधि में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावे। नियंत्रण कक्ष पर नियमित रूप से प्रभारी की नियुक्ति की जावें। जो ब्लॉकों से प्रशिक्षणवार सूचनायें लेकर समेकित कर परिषद स्थित प्रशिक्षण शाखा को अनिवार्यतः उसी दिन प्रशिक्षण शाखा के ई–मेल rajssa.training@gmail.com पर भेजेंगे। परिषद स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसके दूरभाष नं0 0141–2708739 है।

www.rajteachers.com

9. संभागियों की नियमित उपस्थिति –

- निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारं/शिप्र/4483/TEAB/2017 दिनांक 04.05.17 के अनुसार इस प्रशिक्षण में भी आमंत्रित समस्त शिक्षकों की उपस्थिति डाइट संस्थान के माध्यम से क्रय की गई बायोमेट्रीक मशीन के द्वारा प्रातः 7:00 से 8:00 बजे के मध्य तथा सांय 8:00 बजे से 9:00 बजे के मध्य दर्ज की जाएगी।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर प्रभारी नियुक्त करते हुए संभागियो की उपस्थिति रजिस्टर में भी नियमित संधारण की जाए।

दैनिक उपस्थिति प्रपत्र

जिला .... एमटी / शिक्षक प्रशिक्षण दिनांक ....

प्रशिक्षण स्थल/ब्लॉक	विषय समूह	आमंत्रित संभागी				उपस्थित संभागी				दक्ष प्रशिक्षक			
		प्रारम्भिक		माध्यमिक		प्रारम्भिक		माध्यमिक		प्रारम्भिक		माध्यमिक	
		M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F

10. प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण से मुक्त रखने सम्बन्धी निर्देश –

शिक्षक प्रशिक्षणों में स्वविवेक का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार परिस्थितियों में संभागियों को परिषद के पत्रांक 1402–03 दिनांक 10.05.2017 एवं आदेश क्रमांक 1575 दिनांक 15.05.2017 के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम से छूट प्रदान की जानी है –

- गर्भवती शिक्षिका संभागियों को।
- ऐसी महिला शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु 6 माह तक की हो।
- ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष का समय शेष हो।
- ऐसे शिक्षक जो असाध्य रोग से पीडित हो यथा कैंसर, मस्तिष्क आघात (ब्रेन हेमरेज) चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर।
- प्रशिक्षण संचालन में उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित शिक्षकों को उक्त बिन्दुओं के अनुसार सक्षम चिकित्सक के प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर **बिन्दु संख्या 1 से 4 में वर्णित स्थितियों के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जावें।**
- ऐसी महिला शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु तीन साल से कम है, उन्हें रात्रि विश्राम से मुक्त रखा जाए।
- ऐसी महिला शिक्षक जिनके बच्चे मानसिक रूप से विमन्दित एवं किसी असाध्य रोग से पीडित है यथा कैंसर, मस्तिष्क आघात (ब्रेन हेमरेज) चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर **रात्रि विश्राम से मुक्त रखा जाए।**
- प्रशिक्षण हेतु जारी किये जाने वाले आदेशों में विशेष ध्यान रखा जावे कि **यदि किसी शिक्षक संभागी ने अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर रखी है अथवा अन्य कोई विशिष्ट कारण हो जो प्रशिक्षण के किसी भी चरण को प्रभावित करते है, तो ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण के अन्य चरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आदेश प्रसारित किये जावें ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।**

11. ऑन लाईन प्रविष्टी –

- मॉनीटरिंग एवं शिक्षक प्रशिक्षण से प्राप्त फीड बैक हेतु ऑन लाईन प्रपत्र–2 के अनुसार सभी ब्लॉक के प्रशिक्षण केन्द्रों से फीड बैक/सुझाव प्राप्त करने हेतु मॉनीटरिंगकर्ता द्वारा https://goo.gl/forms/yM8yJcpsTYtC1fD53 लिंक पर तथा संभागियों द्वारा https://goo.gl/forms/0GJgl4LWflOJpm5A3 लिंक के माध्यम से ऑन लाइन प्रविष्टि कंप्यूटर / टैबलेट / मोबाइल द्वारा संधारित की जानी है। इस पर फीडिंग की व्यवस्था मॉनीटरिंगकर्ता एवं शिक्षक संभागी द्वारा व्यक्तिगत स्तर से सुनिश्चित की जानी है। फीडिंग में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए ब्लॉक / जिला /राज्य स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम में सम्पर्क करें।

12. बायोमेट्रीक से संभागियों की उपस्थिति दर्ज करना –

- निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/शिप्र/4483/TEAB/2017 दिनांक 04.05.2017 के अनुसार डाइट के माध्यम से बायोमेट्रीक मशीन का क्रय ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण किया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरान्त बायोमेट्रीक मशीन डाइट संस्थान में रखवाई गई थीं। अतः उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के प्रशिक्षण में बायोमेट्रीक का उपयोग किया जाना है।
- प्रशिक्षण स्थल पर बायोमेट्रीक मशीन का कम्प्यूटर से लिंकेज कर प्रशिक्षण दिवसों में दिन में दो बार प्रातः 7.00 बजे से 8.00 बजे के मध्य एवं सायं 8.00 से 9.00 बजे के मध्य सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति दर्ज की जाये।
- ब्लॉक से जिला स्तर पर समेकित की गई संख्यात्मक उपस्थिति को निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के कंट्रोल रूम नम्बर **0151-2226562** व ईमेल **siqerajasthan.state@gmail.com** राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर के कंट्रोल रूम नम्बर **0141-2708739** व ईमेल **rajssa.training@gmail.com** तथा एसआईईआरटी, उदयपुर के कंट्रोल रूम नम्बर **0294-2417045** व ईमेल **director.siert@rajasthan.gov.in** पर भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।

www.rajteachers.com

कक्षा 6 से 8 के विषय अध्यापकों हेतु
कार्यशाला संचालन के सामान्य दिशा–निर्देश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सत्र 2017–18 में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन एवं अकादमिक सम्बलन, क्षमता संवर्धन एवं समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से कक्षा 6 से 8 में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित विषयाध्यापन कार्य करवाने वाले शिक्षकों का कलस्टर स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। **निदेशालय प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर से कार्यशाला आयोजन हेतु जारी आदेश क्रमांक उनि/सशि/SIQE/बैठक/2016–17/132 दिनांक 12.07.2017 को आयोजन, मॉनीटरिंग एवं अन्य शेष व्यवस्थाओं हेतु प्रभावी माना जाए।**

1. अंग्रेजी/विज्ञान/गणित आधारित कलस्टर स्तरीय कार्यशाला:

विषयवार अंग्रेजी/विज्ञान/गणित कलस्टर स्तरीय कार्यशालाएं शिक्षकों को क्षमता संवर्धन एवं अकादमिक संबलन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन कार्यशालाओं में दक्ष प्रशिक्षक/ केआरपी/ डीएसएफ/ एसआरजी/डाईट सदस्य द्वारा शिक्षकों की चुनौतियों पर कार्य किया जायेगा। शिक्षक आपस में अपने अनुभवों से भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इन कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की तैयारी में डाइट संकाय के सदस्य दक्ष प्रशिक्षकों का सहयोग करेंगे। इन कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि –

- गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया से शिक्षण कार्य को प्रभावी कैसे बनाया जाये।
- नवीन पाठ्यपुस्तक के साथ कार्य करने की समझ बनाना।
- शिक्षण के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
- किसी विशेष बिन्दु या विषय–वस्तु पर कैसे कार्य किया जाये।

2. कलस्टर स्तरीय कार्यशाला हेतु बजट प्रावधान:

- कार्यशाला के व्यय बजट का प्रावधान एक दिवसीय गैर आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण के मानक के अनुसार हीं रखा गया है।
- प्रत्येक कार्यशाला में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के सामान्य दिशा–निर्देशानुसार ही व्यय किया जाये।
- यह राशि ब्लॉक एसएसए कार्यालय द्वारा PEEO (CRCF) के विद्यालय की एसएमसी को स्थानान्तरित की जायेगी।
- PEEO (CRCF) द्वारा इस राशि को एसएमसी के माध्यम से खर्च की जाएगी (प्रशिक्षण दिशा–निर्देशानुसार)।

कलस्टर स्तरीय कार्यशाला गैर आवासीय एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण
व्यय मानक (40 संभागियो के शिविर हेतु) Rs.100/– प्रति शिक्षक प्रति दिन

क्रस	मद का नाम	राशि	कुल प्रशिक्षण दिवस	संभागी की संख्या	कुल राशि
1	बैठक व्यवस्था	150	1	-	150
2	सदंर्भ व्यक्ति मानदेय	300	2	-	600
3	चाय–अल्पाहार	15	1	40	600
4	संभागियों का दैनिक भत्ता	50	1	40	2000
5	टीएलएम	10	1	40	200
6	विविध व्यय	-	-	-	450
	कुल व्यय				4000

3. कलस्टर स्तरीय *बैठक कार्ययोजना:*

- प्रत्येक विषय की कार्यशाला अलग–अलग तिथियों में आयोजित की जानी है, जिसमें सम्बन्धित विषय अध्यापकों को सम्मलित किया जाना है।

कार्यशाला	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
माह	अक्टूबर, 2017	नवम्बर, 2017	जनवरी, 2018	फरवरी, 2018

4. कलस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन स्थल:

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पदने पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को CRCF घोषित किया गया है।
- कार्यशाला का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के मुख्यालय के विद्यालयों में किया जाएगा।

5. कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का प्रस्तावित एजेण्डा:

- कलस्टर क्षेत्र के विद्यालयों (उप्रावि/मावि/उमावि) की कक्षा 6 से 8 में अध्यापन करवाने वाले विज्ञान गणित शिक्षक विषयवार अनिवार्य रूप से कार्यशाला में सम्मिलित होगें। जिन विद्यालयों में गणित व विज्ञान विषय के अध्यापन का कार्य एक ही शिक्षक द्वारा करवाया जा रहा है ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षक किसी एक ही कार्यशाला में ही भाग लेंगे।
- बैठक का प्रतिवेदन कलस्टर विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा बीईईओ कार्यालय को कार्यशाला आयोजन के तीन दिवस में पहुँचाना सुनिश्चित करें। संबंधित बीईईओ कार्यालय से समस्त ब्लॉक के प्रतिवेदन समेकित कर जिला स्तरीय अधिकारियों तथा एक प्रति डाईट में भिजवाना सुनिश्चित करें। जिले के एसएसए कार्यालय द्वारा कार्यशाला के सात दिवस में जिले की सूचना परिषद कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक चयनित कलस्टर के लिए पीईईओ प्रभारी अधिकारी होंगें। कार्यशाला आयोजन का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संस्था प्रधान, बीईईओ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

www.rajteachers.com

- प्रत्येक कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक तथा ब्लॉक स्तर के प्रभारी अधिकारी के साथ डाईट से ब्लॉक प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
- विषयवस्तु को समावेशित करने हुए प्रश्ननिर्माण एवं कौशल निर्माण पर विशेष चर्चा की जाए।
- इन कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं को bestpractices sharing के लिए उपयोगी platform के रूप में विकसित किया जाना है।
- प्रत्येक कार्यशाला में गत कार्यशाला के सत्रों पर चर्चा की जानी है।
- **कार्यशाला में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों एवं दक्ष प्रशिक्षकों के विरूद्ध परिषद के आदेशांक 1407 दिनांक 11.05.16 के अनुसार कार्यवाही की जाए।**

6. विषयवार कलस्टर स्तरीय कार्यशाला के लिए निर्देश:

- जिला कार्यालय एसएसए/रमसा, संबंधित डाइट, एवं ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठकर मासिक कार्यशालाओं की कार्य योजना तैयार करेंगे।
- कार्यशाला में 20 से अधिक संभागी होने पर दो दक्ष प्रशिक्षक (प्रत्येक विषय का एक) नियुक्त किये जायें।
- पीईईओ के मुख्यालय वाले माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए रिसोर्स केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। (सूची जिला एसएसए/रमसा कार्यलय में उपलब्ध है।)
- कलस्टर स्तरीय कार्यशाला आयोजन स्थल के संस्थाप्रधान द्वारा कार्यशाला हेतु आवश्यक संसाधन यथा जल–पान/विद्युत/बैठक स्थल/फर्नीचर/प्रोजेक्टर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- आवश्यकतानुसार प्रति कलस्टर विषयवार दक्ष प्रशिक्षकों की पहचान करें। यथासंभव दक्ष प्रशिक्षक उसी कलस्टर क्षेत्र के विद्यालयों से हो।
- ब्लॉक स्तर के अधिकारी, आरपी इन मासिक कार्यशालाओं में आवश्यक रूप से भाग लें और पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें।
- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0/मा0शि0) सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ही कार्यशाला आयोजन से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता के लिए निर्देशित करें।

विशेष:– कार्यशाला आयोजन पश्चात परिषद कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यालय एसएसए कार्यालय द्वारा मय हस्ताक्षर के जिलेवार संमेकित सूचना मेल से उपलब्ध करवाई जानी है।

(नरेशपाल गंगावार)
शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
राज0 सरकार, जयपुर

क्रमांक:राप्राशिप/प्रशि/दिशा–निर्देश/2017–18/ 7209 **दिनांक:–** 26/9/17

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ठ शासन सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त रा.प्रा.शि.प. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, रा.मा.शि.प., जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, राज0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. नियंत्रक वित्त, राप्राशिप को शिक्षक प्रशिक्षणों हेतु जिलेवार अग्रिम राशि जारी करने हेतु।
10. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी (R.A.S. / R.Ac.S.) शासन द्वारा नियुक्त

1. उपायुक्त (प्रशिक्षण), राज0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. जिला प्रभारी अधिकारी, परिषद मुख्यालय जयपुर।
3. जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए / रामाशिप, समस्त जिले।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए / रामाशिप, समस्त जिले।
5. प्रधानाचार्य डाइट समस्त जिले।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 जोगा राम)
आयुक्त, राज0 प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

www.rajteachers.com